

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर,
अटल नगर, जिला – रायपुर
// आदेश //

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक : 31 मई 2021

क्रमांक एफ-10-79/2020/वा.क.(पं.)/पांच : : छत्तीसगढ़ ई-स्टाम्प नियम,2016 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में गैर अदालती डिजीटल स्टाम्पों के प्रदाय के लिए, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अधिकृत है। भारत सरकार की ओर से राज्यों के मुख्य सचिव को संबोधित पत्र क्रमांक 33013/04/2019.ST-1-DoR, दिनांक 30.06.2020 अनुसार केन्द्र सरकार की कम्पनी नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड (NeSL) को वित्तीय ऋण अनुबंधों (Financial credit contracts) के लिए repository के रूप में मान्य किया गया है, इस हेतु NeSL द्वारा Digital Document Execution (DDE) प्लेटफार्म तैयार किया गया है। NeSL के प्लेटफार्म पर डिजीटल रूप से निष्पादित होने वाले ऋण/ऋणों के प्रतिभूतिकरण से संबंधी निम्नांकित विलेखों, जिनका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 17 के तहत पंजीयन अनिवार्य नहीं है, ऐसे विलेखों पर राज्य शासन एतद् द्वारा ऑनलाईन डिजीटल ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को अधिकृत करता है :-

सरल क्रमांक	स्टाम्प अनुसूची 1-क, की अनुच्छेद संख्या	अनुच्छेद का विवरण
1	4	शपथपत्र (Affidavit)
2	5(ख)	करार या करार का ज्ञापन (Agreement or Memorandum of an agreement)
3	6	हक विलेखों के निक्षेप-पण्यम या गिरवी से संबंधित करार (Agreement relating to Deposit of Title deeds, pawn or Pledge)
4	34	क्षतिपूर्ति बंधपत्र (Indemnity Bond)
5	40	बंधक विलेख (Mortgage deed) / डीड ऑफ हाइपोथिकेशन (Hypothecation deed)
6	57	प्रतिभूति बंधपत्र (security Bond)

स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड/बैंक के साथ आवश्यक इंटीग्रेशन किया जाएगा तथा ई-स्टाम्प नियम,2016 में विहित प्रावधानों एवं ई-स्टाम्पों के प्रदाय हेतु निष्पादित अनुबंध की शर्तों के अनुरूप, डिजीटल ई-स्टाम्प के रूप में प्राप्त राशि को विभागीय मद में निर्धारित समयसीमा में अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा तथा डिजीटल ई-स्टाम्प के संबंध में पृथक से ऑनलाईन रिपोर्ट का प्रावधान भी किया जाएगा।

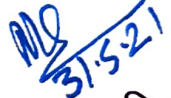
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(मनोज कुमार मिश्रा)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर(पंजीयन)विभाग

पृ.क्रमांक एफ-10-79/2020/वा.क.(पं.)/पांच नवा रायपुर अटल नगर,दिनांक : 31 मई 2021
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, वाणिज्यिक कर(पंजीयन) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर(छ0ग0)।
2. महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, नवा रायपुर अटल नगर(छ0ग0)।
3. कलेक्टर (समस्त) जिला छत्तीसगढ़ ।
4. जिला कोषालय अधिकारी (समस्त) जिला छत्तीसगढ़ ।
5. जिला पंजीयक (समस्त) जिला छत्तीसगढ़ ।
6. मुख्य प्रबंधक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड (NeSL) सर्विस, मुम्बई।
7. रीजनल मैनेजर, स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 222-223, ऋषभ काम्पलेक्स, एम.जी. रोड, रायपुर (छ.ग.)।
8. आदेश फोल्डर।


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 वाणिज्यिक कर(पंजीयन)विभाग